

B

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 1983/वैशाख 26, 1905
No. 185] NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 1983/VAISAKHA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है किन्तु यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 1983

सं. 147/83-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 426(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने
द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 147/

सीमा-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खंड (क) में, मद 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, औरंगाबाद, बड़ौदा, बंगलूर, मुंबई-1, मुंबई-2, कलकत्ता-1, कलकत्ता-2, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, छत्रेश्वर, कोयंबूर, मध्य प्रदेश, मद्रास, नागपुर, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पटना, पुणे, राजकोट, थाने, तिरुचिरापल्ली और पश्चिमी बंगाल ।”

[फा. सं. 437/4/83-सीमा-शुल्क-4]

जैड. बी. नागरकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 10th May, 1983

NO. 147/83-CUSTOMS

G.S.R. 426/E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 37-Customs, dated the 1st February 1963, namely:—

In the said notification, in clause (a), for item 4 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

“Collector of Central Excise, Ahmedabad, Allahabad, Aurangabad, Baroda, Bikaner, Bombay-I, Bombay-II, Calcutta-I, Calcutta-II, Chandigarh, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Bhubneshwar, Karpur, Madhya Pradesh, Madras, Madurai, Nagpur, North Uttar Pradesh, Patna, Pune, Rajkot, Thane, Tiruchirapalli and West Bengal.”

[F. No. 437/4/83-Cus. IV]

Z. B. NAGARKAR, Under Secy.